भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1814
दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीवन रक्षक दवाइयों की कीमतें

1814. लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त):
श्री पि. भट्टाचार्य:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किए गए अपेक्षित प्रयासों के बाद दवाइयों की कीमतों में किस तारीख से कमी दर्ज़ की गई है;
(ख) जीवन रक्षक दवाइयां कितनी हैं और किस हद तक उनकी कीमतें घटाई गई हैं;
(ग) गरीब लोगों को नि:शुल्क दवाइयां प्रदान करने का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा; और
(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रों को चिन्हित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): भारत का फार्मा क्षेत्र में मूल्य नियंत्रण का एक लंबा इतिहास रहा है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 नामक आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत पहला व्यापक आदेश प्रवर्तित किया गया था। तदनंतर, सरकार ने डीपीसीओ, 1979, डीपीसीओ, 1987, डीपीसीओ, 1995 और डीपीसीओ, 2013 को प्रख्यापित किया। पिछले सभी डीपीसीओ के तहत बल्क ड्रग की कीमत में नियंत्रण करने के माध्यम से अनुसूचित फॉर्मूलेशनों की कीमत को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया था। तथापि, डीपीसीओ, 2013 के तहत पॉलिसी परिवर्तन में, मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आवश्यक दवाओं / फॉर्मूलेशनों की कीमत को लाया गया था।

(ख): औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) में जीवन रक्षक दवाओं को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011 (एनएलईएम) में 348 दवाएं थीं, जिन्हें मूल्य विनियमन के उद्देश्य से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने बाजार आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति के आधार पर ऐसी दवाओं के 530 अनुसूचित फॉर्मूलेशनों की अधिकतम कीमतें तय कीं। मूल्य निर्धारण से पहले प्रचलित उच्चतम मूल्य की तुलना में डीपीसीओ, 2013 के तहत निर्धारित अनुसूचित फॉर्मूलेशनों की कीमतों में कमी का विवरण निम्नानुसार है:

अधिकतम मूल्य के संबंध में % कमी	**दवाओं की संख्या**
0<= 5%	80
5<=10%	50
10<=15%	57
15<=20%	43
20<=25%	65
25<=30%	49
30<=35%	26
35<=40%	34
40% से अधिक	126
	530

इसके अलावा, एनएलईएम, 2015 को अपनाते हुए डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I को संशोधित किया गया था। एनपीपीए ने एनएलईएम, 2015 के तहत दवाओं के 861 अनुसूचित फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं। मूल्य निर्धारण से पहले प्रचलित उच्चतम मूल्य की तुलना में डीपीसीओ, 2013 के तहत निर्धारित अनुसूचित फॉर्मूलेशन की कीमतों में कमी का विवरण निम्नानुसार है:

अधिकतम मूल्य के संबंध में% कमी	फॉर्मूलेशनों की संख्या
0 <= 5%	236
5 <= 10%	138
10 <= 15%	98
15 <= 20%	100
20 <= 25%	92
25 <= 30%	66
30 <= 35%	46
35 <= 40%	26
40% से ऊपर	59
एनएलईएम 2015 में कुल फॉर्मूलेशन	861

(ग) और (घ): सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का एक विषय होने के फलस्वरूप, अपनी आवश्यकतानुसार इस तरह की कार्ययोजना तैयार करना राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें मुफ्त दवाओं के प्रावधान हेतु उन्हें भी सहायता प्रदान करना शामिल है जो राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में निश्चित की गई आवश्यकता पर आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करते हैं। एनएचएम के तहत 5% तक अतिरिक्त धनराशि (राज्य के सामान्य आवंटन के ऊपर और अतिरिक्त) का प्रोत्साहन उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जो मुफ्त दवा योजना शुरू करते हैं।

एनएचएम-नि:शुल्क दवा सेवा पहल के तहत राज्यों को मुफ्त दवाओं के प्रावधान के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाता है बशर्ते कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हों। राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त दवाओं की संख्या अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है और अधिकांश राज्यों में आवश्यक दवाओं की अपनी सूची होती है।

*****